क्षेत्रीय कार्यालय

फोन न0 2723225

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

एसपीएल–2 मरूधर इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी प्रथम जोधपुर

Email Address-rorpcb.jodhpur@gmail.com

क्रमांकः–एफ–1(47) / राप्रनिम / निविदा / लेखा / 284

दिनांकः– 04/5/17

संपादक,
दैनिक भास्कर
न्यू पावर हाऊस रोड
जोधपुर।

विषयः–समाचार पत्र में निविदा प्रकाशन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संलग्न निविदा संख्या 01 / 2017–2018 राज्य स्तर पर डी0 आई0 पी0 आर0 दर पर (न्यूनतम साईज) समाचार पत्र में प्रकाशित करावे। समाचार पत्र की दो प्रतियां बिल भुगतान हेतु प्रेषित करावे।

संलग्नः–निविदा प्रति।

भवदीय

Sd/-

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सदस्य सचिव, राप्रनिम, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी राप्रनिम, जयपुर।
3. श्री रजनीश जैन, आईटी प्रभारी, राप्रनिम जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि निविदा को वेबसाईट पर प्रसारित कराने की व्यवस्था करावे।
4. श्री श्यामलाल जांगिड, वैज्ञानिक अधिकारी, राप्रनिम, जोधपुर।
5. श्रीमती आभा टाक, वैज्ञानिक अधिकारी, राप्रनिम, जोधपुर।
6. लेखाशाखा राप्रनिम जोधपुर।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
जोधपुर

क्षेत्रीय कार्यालय फोन न0 2723225

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

एसपीएल–2 मरूधर इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी प्रथम जोधपुर

Email Address-rorpcb.jodhpur@gmail.com

क्रमांकः–राप्रनिम / निविदा-NAMP / 17–18 / 286-293 दिनांकः– 04/05/2017

निविदा विज्ञप्ति 01 / 2017

क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर के परिवेशीय राष्ट्रीय वायु प्रबोधन परियोजनान्तर्गत (Natioanl Ambient Air Quality Monitoring Programme) जोधपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों का चालन (Operation of Repairable Dust Sampler एवं $PM_{2.5}$ Sampler), सुरक्षा एवं सुरक्षित रखरखाव (Safty and Security), वायु नमूना संग्रहण (Collection of Air Samples) एवं संबंधित फील्ड डाटा शीट (Ambient Air Quality Monitoring Sheet) सहित विश्लेषणार्थ (Analysis) क्षेत्रीय प्रयोगशाला जोधपुर को शीध्रताशीध्र निर्देशानुसार हस्तान्तरण (Hand Over) करने का कार्य अनुबन्ध पर कराने हेतु, अनुभवी फर्मों से मुहरबन्द निविदाऐं निम्नानुसार आमंत्रित की जाती हैः–

क0 स0	कार्य विवरण	अनुमानित राशि	अमानत राशि	निविदा शुल्क	कार्य अवधि
1	वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों का चालन, सुरक्षा एवं सुरक्षित रखरखाव, वायु नमूना संग्रहण, संबंधित फील्ड डाटा शीट, सहित विश्लेषणार्थ	10.00 लाख	20000 / – रूपये	200.00 (दो सौ रूपये)	12 माह
2	निविदा आवेदन पत्र प्राप्ति की दिनांक			08-05-2017 to 23-05-2017 तक कार्यालय समय में	
3	निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि			24-05-2017 समय 3.00 PM	
4	निविदा आवेदन पत्र खोलेने की तिथि			24-05-2017 समय 4.00 PM	

निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्ते मण्डल की वेबसाईट www.environment.rajasthan.gov.in / sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है। निविदा फार्म उक्त वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते है। इस निविदा के **UBN No. PCB1718SSOB00001** है तथा निविदादाता द्वारा डाउनलोड फार्म उपयोग में लेने पर निविदा शुल्क की राशि 200 / –रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भुगतान योग्य जोधपुर के नाम से होना चाहिऐ। अन्य शर्ते निविदा प्रपत्र में उल्लेखित है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राप्रनिम, जोधपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
जोधपुर

क्षेत्रीय कार्यालय फोन न0 2723225

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

एसपीएल–2 मरूधर इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी प्रथम जोधपुर

Email address-rorpcb.jodhpur@gmail.com

निविदा फार्म का मूल्यः–200/–

निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किया जाना वाला आवेदन

निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रस्तुत करने वाले का नाम/फर्म का नाम ....

2. डाक का पूरा पता..

3. संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम ....
व पदनाम ....एवं प्रमाणित हस्ताक्षर ....

4. निविदादाता का दूरभाष संख्या/लेण्डलाईन न. ....मोबाईल न0..

5. संदर्भः– निविदा सूचना संख्या............................दिनांक ....

6. निविदा शुल्क का विवरण– राशि रूपये ....रसीद संख्या/डीडी/बैंकर चैक कमांक.............
....दिनांक..

7. अमानत राशि रूपये ....(रूपये बीस हजार मात्र) बैंकर्स ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जोधपुर के नाम देय हो। जारी कर्ता बैंक का नाम................. .... राशि रू. ..../– (शब्दो मे रूपये ....) ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक स. ....दिनांक...

8. अनुबन्ध राशि 12 माह के लिये – राशि (अंकों में)..राशि (शब्दों में) ....प्रति स्टेशन प्रति माह।

9. मैं/हम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना कमांक एफ5(18)/राप्रनिम/प्रयोगशाला/..दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करता हूं/करते है एवं जिनके स्वीकार किये जाने के प्रमाण में निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये है।

10, ऊपर उद्वत की गयी दरें कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया जा सकता है।

11, निविदादाता को आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (PAN), निविदादाता का सेवाकर रजिस्ट्रेशन निविदादाता को नियमानुसार श्रम विभाग द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन की प्रतियां संलग्न की जानी आवश्यक होगी। ठेकेदार फर्म के पते के प्रमाण में सरकार द्वारा निर्धारित दस्तावेज की फोटों प्रति/फर्म के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रमाणित फोटों प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
जोधपुर

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
नामः मैसर्स..
पताः ....

SR FORM-15

Rajasthan State Pollution Control Board
(See Rule 68)
TENDER FORM

1. Tender for NAMP..
2. Name and Postal address of the firm submitting the tender
....
....
3. Addressed to :- Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jodhpur.
4. Reference : NIT No. .... due on date ....
5. The Tender fee amount of Rs. ..../- has been deposited vide cash receipt No. ....or DD No./Banker Cheque No. and Date.......................................
6. We agree to abide by all the conditions mentioned in. Tender Notice number .... dated .... issued by Regional Officer, RSPCB, Jodhpur and also the further conditions of the said Tender notice given in the attached sheets (**All the pages of which have been signed by us in token of our acceptance of the terms mentioned therein**).

S.No.	**Name of Work**	**Rate including All Taxes and Charges (Per Station) Per months**
1	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के परिवेशीय वायु प्रबोधन परियोजनान्तर्गत (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) जोधपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों का चालन (Operation of Respirable Dust Sampler एवं $PM_{2.5}$ Sampler) सुरक्षा एवं सुरक्षित रखरखाव (Safety and Security), वायु नमूना संग्रहण (Collection of Air Samples) एवं संबंधित फील्ड डाटा शीट (Ambient Air Quality Monitoring Sheet) सहित विश्लेषणार्थ (Analysis) क्षेत्रीय प्रयोगशाला जोधपुर को शीघ्रताशीघ्र निर्देशानुसार हस्तान्तरण (Hand Over) करने का कार्य	

Note-Specifications enclosed.

7 The rates quoted above are valid for 12 months and the period can be extended with mutual agreement.

8 Bank draft/Bankers Cheque No. .... Date...............for Rs. ....in favour of **Regional Officer, RSPCB Jodhpur, Payable Jodhpur** to cover earnest money is enclosed.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर

क्षेत्रीय कार्यालय फोन न0 2723225

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

एसपीएल–2 मरूधर इण्डस्ट्रीयल एरिया, बासनी प्रथम जोधपुर

राष्ट्रीय वायु प्रबोधन परियोजनान्तर्गत (Natioanl Ambient Air Quality Monitoring Programme) जोधपुर शहर कार्य का विस्तृत विवरण :–

जोधपुर शहर में प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Stations) वर्तमान में निम्न स्थानों पर स्थित है:–

क0 सं0	स्टेशन का स्थान	क्षेत्रीय प्रयोगशाला का नाम व पता जहां नमूने जमा कराने है
1	महामन्दिर पुलिस स्टेशन।	क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, स्पेशल प्लॉट न0 2 मरूधर इण्डस्ट्रीयल एरिया, प्रथम चरण, बासनी जोधपुर
2	सोजती गेट पुलिस स्टेशन।	
3	क्षेत्रीय कार्यालय, राप्रनिम, जोधपुर।	
4	जिला उधोग केन्द्र, जोधपुर।	
5	शास्त्रीनगर पुलिस स्टेशन, जोधपुर।	
6	आवासन मण्डल कार्यालय, जोधपुर।	

नोटः– उक्त प्रबोधन केन्दों (Monitoring Stations) की संख्या **छः से बढाकर नौ** की जा सकती है तथा उपरोक्त स्टेशन के स्थान परिवर्तित किये जा सकते है।

1. परिवेशीय वायु गुणवता प्रबोधन केन्द्र पर तकनीकी सहायक/कर्मी से केन्द्र पर लिये जाने वाले निम्न कार्य अपेक्षित है।

   (अ) कार्य का विवरण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर के परिवेशीय राष्ट्रीय वायु प्रबोधन परियोजनान्तर्गत (Natioanl Ambient Air Quality Monitoring Programme) जोधपुर शहर में विभिन्न स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों का चालन (Operation of Repairable Dust Sampler एवं $PM_{2.5}$ Sampler), सुरक्षा एवं सुरक्षित रखरखाव (Safty and Security), वायु नमूना संग्रहण (Collection of Air Samples) एवं संबंधित फील्ड डाटा शीट (Ambient Air Quality Monitoring Sheet) सहित विश्लेषणार्थ (Analysis) क्षेत्रीय प्रयोगशाला जोधपुर को शीध्रताशीध्र निर्देशानुसार हस्तान्तरण (Hand Over) करना। परियोजनान्तर्गत उक्त स्थानों को परिवर्तित भी किया जा सकता है। स्थानों व मशीनों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।

   (ब). निर्धारित स्टेशनों पर मण्डल द्वारा उपलब्ध कराई गई मशीन का सुचारू रूप पर प्रचालन (Operation of Equipments)।

   (स). प्रत्येक प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) एक सप्ताह में दो दिवस के अन्तराल पर 24 घन्टे चलाया जाएगा।

(द). वांछित कार्य सम्पादन के लिये 8 घन्टे प्रति पारी (6.00 AM to 2.00 PM, 2.00 PM to 10.00 PM and 10:00 PM to 6.00 AM) के संचालन हेतु प्रति पारी एक तकनीकी सहायक (Technical Assistant) कर्मी नियुक्त किया जाएगा।

2. आपात स्थिति एवं प्रत्येक दीपावली के दौरान आवश्यक होने पर किसी एक अथवा सभी प्रबोधन केन्दों पर सप्ताह में दो दिवस के स्थान पर तीन दिवस या अधिक दिन को भी यह कार्य किया जा सकता है। इस कार्य को करने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी। इस कार्य का भुगतान आनुपातिक दरों के अनुसार किया जायेगा।
3. तकनीकी सहायक (Technical Assistant) कर्मी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा उतीर्ण होनी आवश्यक है।
4. शहर में वायु गुणवता प्रबोधन हेतु (Air Quality Monitoring) निर्धारित स्थानों पर अवस्थित स्टेशन (Air Monitoring Stations) ठेकेदार के कर्मियों द्वारा संचालित किये जायेगे।
5. वैज्ञानिक अधिकारी/कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों को समय समय पर कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, जिसके दौरान पाई गई कमियों के आधार पर ठेकेदार/संस्था पर शासित अधिरोपित की जा सकेगी। साथ ही ऐसी कमियों का ठेकेदार/संस्था द्वारा तुरन्त निराकरण करना होगा।

राष्ट्रीय वायु प्रबोधन परियोजनान्तर्गत (Natioanl Ambient Air Quality Monitoring Programme) कार्य की शर्तेः–

1. निविदादाता को जोधपुर शहर के संपूर्ण प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Stations) पर कार्य संपादन हेतु निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
2. ठेकेदार/फर्म को पूर्व में सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों में तकनीकी कर्मचारी आपूर्ति करने का न्यूनतम दो वर्ष का संतोषप्रद कार्य संपादन का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव का प्रमाण पत्र (जो कि संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया हो) निविदा पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। इस प्रमाण पत्र के अभाव में निविदा पर विचार नही किया जाएगा। कार्यादेश को अनुभव के प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नही किया जाएगा।
3. ठेकेदार को अमानत राशि के रूप में रूपये 20000/– का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर के नाम हो तथा जोधपुर में भुगतान योग्य हो, निविदा के साथ अलग लिफाफे में संलग्न करना होगा। निविदा के साथ अमानत राशि (Eernest Money) प्रस्तुत न करने की स्थिति में निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।
4. सफल निविदादाता को रूपये 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र तथा ठेके की वार्षिक कुल राशि के 5 प्रतिशत के बराबर की राशि प्रतिभूति (Security) राशि के रूप में इस कार्यालय में, कार्य आदेश मिलने के सात दिवसों मे जमा करना होगा तथा अमानत राशि (Earnest Money) को प्रतिभूति राशि (Security Money) में समायोजित करवा सकता है। प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर, अनुबन्ध के संतोषजनक निर्वाह की स्थिति में, लिखित प्रार्थना पत्र देने पर शीध्रताशीध्र लौटा दी जाएगी। अमानत राशि एवं प्रतिभूमि राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। यदि संविदा के किन्ही उपबंधों या शर्तों में उल्लघन पाया गया तो

विभाग को आर्थिक दण्ड (Penalty) लगाने का अधिकार होगा। ठेकेदार द्वारा आर्थिक दण्ड का भुगतान न करने की स्थिति में दण्ड की राशि उसको देय भुगतान अथवा प्रतिभूति राशि (Security Money) में से वसूल की जाएगी।

5. क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा कि अनुबध की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सके। इस बारे में अनुबंधकर्ता किसी भी हर्जे खर्चे की मांग नही कर सकेगा एवं सफल निविदादाता द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी।
6. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत निविदा या संलग्न दस्तावेजों में कोई मिथ्या तथ्य या कोई अन्य त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने एवं उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर को होगा।
7. विभाग किसी भी निविदा एवं समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है। विभाग के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नही होगी।
8. निविदा के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करने होगे।
9. मुहरबन्द निविदा प्रपत्र मय अमानत राशि (Earnest Money) एवं अन्य दस्तावेज दिनांक 24–05–2017 को अपरान्ह 3.00 बजे तक कार्यालय के टेण्डर बॉक्स में पहुच जाने चाहिये। प्राप्त निविदाऐं उक्त तिथि को ही मध्याह्न पश्चात् 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी।
10. निविदा की दरें मूल निविदा प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जानी आवश्यक है। मूल निविदा प्रपत्र के अभाव में निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।
11. राष्ट्रीय वायु प्रबोधन परियोजनान्तर्गत (Natioanl Ambient Air Quality Monitoring Programme) के अन्तर्गत वायु नमूना संग्रहण (Ambient Air Quality Monitoring) आंकडा प्रतिवेदन प्रपत्र (Data Sheet) सहित केन्द्रीय प्रयोगशाला को परिवहन के कार्य हेतु ठेका एक वर्ष की अवधि के लिये दिया जायेगा। ठेके की अवधि में कार्य उत्कृष्ठ पाये जाने की स्थिति में ठेका आपसी सहमति से पूर्व स्वीकृत दरों एवं शर्तों पर बढाया जा सकता है।
12. प्रबोधन कार्य संचालन (Handling of Monitoring Work)/संपादन हेतु मशीन, उपकरण, रसायन तथा कार्य प्रशिक्षण (Training on Operation of Equipment, supply of Absorbing solutions, filter papers) आदि मण्डल प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे। आवश्यकतानुसार मशीन की मरम्मत, सर्विस (Service and Repairng) आदि की जिम्मेदारी मण्डल की होगी लेकिन प्रत्येक तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मी की कर्तव्य निष्ठा, सुचारू रूप से मशीन के संचालन/संघारण आदि के लिये निविदादाता उतरदायी होगा। तकनीकी सहायक (Technical Assistant) कर्मी द्वारा मशीन के चालन/प्रचालन में रूकावट पर तुरन्त मण्डल के द्वारा नामित अधिकारी को सूचित करना होगा। यदि ठेकेदार एवं उसके तकनीकी सहायक (Technical Assistant) कर्मी की लापरवाही से मशीन के खराब होने, कांच के सामान टूटने पर विभिन्न अभिकर्मकों, फिल्टर पेपर, आंकडा प्रतिवेदन, आकडे संग्रह आदि को क्षति पहुचाने या दुरूपयोग करने पर ठीक करने की जिम्मेदारी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर

ठेकेदार की होगी तथा मण्डल उपकरण ठीक कराने में किये गये व्यय की धरोहर राशि/उसे देय भूगतान में से वसूल कर सकेगा।

13. ठेकेदार को कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट 1970 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक है। आयकर विभाग में स्थायी खाता संख्या एवं सर्विस टेक्स में रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करने आवश्यक होगे।
14. कार्यों के विवरण में दिये गये कार्यो को करते समय यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप से अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या किसी दुर्घटना/अनहोनी हो जाने के कारण किसी प्रकार की हानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मदारी या उसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।
15. कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधायी निधि, सर्विस टेक्स एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमों के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
16. ठेकेदार प्रतिमाह वैज्ञानिक अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अन्य प्रयोगशाला अधिकारी से मासिक बिल प्रमाणित कराएगा। मण्डल द्वारा स्वीकृत निविदा राशि का ही भुगतान किया जाएगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य भुगतान नही किया जायेगा।
17. ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना कोई नोटिस दिये ठेका निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
18. ठेके की व्यवस्था के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर का निर्णय अन्तिम होगा जो ठेकेदार को मान्य होगा।

अन्य महत्वपूर्ण शर्तेः—

1. ठेकेदार/संस्था को तकनीकी श्रमिक सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में उपलब्ध कराने का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है जिसके प्रमाण के लिये आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होगे।
2. ठेकेदार/संस्था इस कार्य का सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों की सूची मय फोटों तथा योग्यता प्रमाण पत्रों के साथ संलग्न करेगा।
3. इस निविदा के तहत कार्य के निष्पादन हेतु ठेकेदार/संस्था द्वारा निर्धारित योग्यताधारी श्रमिकों को नियोजन किया जाऐगा तथा ऐसे नियोजित श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नही करेगा। यदि उसके द्वारा ऐसा नही किया जाता है तो इस हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
4. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित समस्त व्यक्तियों/श्रमिकों के आचरण की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/संस्था की होगी तथा उसकी अनुशषां पर ही उसके कर्मियों के मण्डल कार्यालय द्वारा प्रवेश पत्र या परिचय पत्र बनाये जायेगे। प्रत्येक तकनीकी सहायक (Technical Assistant) कर्मी के लिये (ठेकेदार/संस्था के प्रतिनिधि सहित) मण्डल कार्यालय का प्रवेश पत्र रखना आवश्यक तथा मांगने पर दिखाना होगा।
5. मॉनिटरिंग स्टेशन के चालन के समय 24 घंटे व्यक्ति उपलब्ध रहना अनिवार्य है।
6. ठेकेदार/संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये तकनीकी सहायकों की आयु 18 वर्ष से कम नही होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर

7. ठेकेदार /संस्था द्वारा आपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध दोषी, सजायफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जायेगा।
8. ठेकेदार/संस्था के व्यक्तियों द्वारा यदि मण्डल सम्पति, स्टेशन पर स्थापित उपकरण, विभिन्न रसायनों, अभिकर्मकों आदि को कोई नुकसान पहुचाया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार/संस्था को करनी होगी।
9. ठेकेदार/संस्था को राज्य मण्डल के अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जाऐगा तो वह तुरंत उपस्थित होगा।
10. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित किये जाने वाले तकनीकी सहायक (Technical Assistant) /कर्मी के संबंध में विभिन्न श्रम एवं अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधानों की पालना का संपूर्ण दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा। राज्य मण्डल उक्त समस्त श्रम कानूनों के लिये किसी भी रूप से उत्तरदायी नही होगा।
11. प्रभावी श्रम एवं अन्य संबंधित कानूनों के तहत प्रावधायी निधि (ई0 पी0 एफ0) एवं बीमा (ई0एस0आई0) और सेवाकर आदि की राशि जमा करवाने, एवं अन्य वित्तिय अथवा कानूनी दायित्व ठेकेदार/संस्था के होगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान मण्डल कार्यालय द्वारा नही किया जायेगा।
12. श्रम एवं अन्य कानूनों की पालना न करने पर अथवा अनुबंध की शर्तों का उल्लघन करने पर एवं कार्य संतोषजनक नही पाये जाने पर बिना नोटिस दिये प्रतिभूति जब्त कर ठेका समाप्त किया जा सकता है।
13. ठेकेदार/संस्था नियोजित श्रमिकों के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक संबंधी विवाद में दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा तथा मण्डल कार्यालय से उनका कोई संबंध नही होगा।
14. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित श्रमिकों के संबंध में औधोगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों की पालना हेतु ठेकेदार/संस्था पूर्णतः जिम्मेदार होगा। इस संबंध में मण्डल कार्यालय को यदि कोई राशि व्यय करनी पडी तो वह ठेकेदार/संस्था के लंबित भुगतान या प्रतिभूति राशि से वसूल की जायेगी।
15. यदि अनुबंध से संबंधित कार्यों के संपादन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है एवं इसके लिये निविदा शर्तों/कार्यादेश में शास्ति (Penalty) का स्पष्ट प्रावधान नही किया गया है तो ऐसे कार्यों में लापरवाही या किसी प्रकार की शास्ति क्षेत्रीय अधिकारी, राप्रनिम, जोधपुर द्वारा आरोपित की जा सकेगी।
16. ठेकेदार द्वारा चुकाये गये किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दण्ड एवं शास्ति (Compensation and Penalty) की ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान एवं प्रतिभूति (Payment or Security) राशि में से वसूल करने का अधिकार मण्डल को होगा।
17. उक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपानन में पारदर्शिता नियम 2013 की शर्तों व विनिमय भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होगे।
18. इस निविदा के संबंध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध के संबंध में कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय में उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय में लंबित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा–निर्देश पारित किया जाये

तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठकेदार/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नही हो।

19. यह है कि मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त परियोजनार्थ कोई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह में पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेगी।
20. इस निविदा के तहत अनुबंध की अवधि सामान्यतः एक वर्ष की होगी तथापि अनुबन्ध की अवधि में कमी अथवा बढोतरी करने का अधिकार मण्डल कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
21. इस निविदा के संबंध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध की शर्तों की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से संबंधित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पद क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर का निर्णय अन्तिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा।
22. ठेकेदार या उनके तकनीकी सहायक (Technical Assistant)/कर्मी द्वारा नमूने के एकत्रीकरण के कार्य में प्रतिदिन केन्द्रीय प्रयोगशाला प्रभारी के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में नमूनों को मय आकडा प्रतिवेदन (Collected Sample and Data Sheet) विश्लेषण के लिये जमा कराया जायेगा।
23. शास्ति (Penalty):–
    (अ). ठेकेदार/ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा आंकडा प्रतिवेदन एवं नमुनो को केन्द्रिय प्रयोगशाला में समय पर जमा नही कराने पर उस दिन की भुगतान (Payment) की जाने वाली राशि का भुगतान नही किया जाएगा तथा उस दिन किये जाने वाली भुगतान राशि के बराबर की राशि की शास्ति (Penalty) लगायी जाएगी।
    (ब) ठेकेदार द्वारा लगातार तीन दिवसों पर कार्य में लापरवाही करने पर उन दिनों को भुगतान की जाने वाली राशि की दो गुना राशि शास्ति के रूप में वसूली जायेगी।
    (स) लगातार सात कार्य दिवसों पर लापरवाही करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रतिभूति
    राशि पूर्ण रूप से जब्त कर ली जायेगी तथा उसकी जोखिम पर कार्य अन्य संस्था से करवाया जाएगा तथा अन्तर की राशि ठेकेदार से वसूल की जायेगी।
24. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार, जोधपुर होगा।

दिनांकः–

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम मैसर्स.....................................

....

....

पताः–...

....

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
जोधपुर

Envelop "A" में रखे

Declaration

I ………………………………………… Designation……..……………………………of ……………………………………………………..…………..……….(office Address) ………………………………………….(Residential address) solemnly declare that our firm/company……………………………………………………………………………. (Name of Firm) has not been black listed any where in India.

Date-

Place-

Signature and Name of the
Authorized signatory
(Tenderer)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
[illegible]